

क्षेत्राधिकार श्रीमान उपनिबन्धक बरेली बयनामा अर्द्ध नगरीय क्षेत्र आवासीय प्लॉट, दर भूमि 7,200/-रूपये प्रति वर्ग मीटर, कोई निर्माण नहीं है, शत्रु/नजूल/चर्च/वक्फ/सीलिंग सम्पत्ति नहीं है, पक्षकार भारतीय नागरिक है स्टाम्प शुल्क उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 संख्या 13/2025/914/94-2-2025-700(76) 2024 लखनऊ दिनांक 29.07.2025 के अनुसार अदा किया गया है।

बैनामा ..... /-रूपये सरकारी कीमत ..... /-रूपये, ई-स्टाम्प ..... /-रूपये सर्टिफिकेट सं० IN-UP  
Y दिनांक .....2026ई० का संलग्न है।

हम कि पैराडाईज इन्फ्रासिटी द्वारा पार्टनर उदय कुमार पुत्र स्व० हरवंश लाल निवासी 97/98, रेजीडेन्सी गार्डन बरेली व जगजीत सिंह नन्दा पुत्र सरदार हरवंश सिंह निवासी कौशम्बी इन्क्लेव शहदाना रोड बरेली के है विक्रेतागण।

जो कि कुल आराजी तादादी 15738.41 वर्ग मीटर गाटा सं० 16मि०, 12मि०, 9, 10, 11 मे से वाकै ग्राम कन्थरी तह० व जिला बरेली महदूदा जैल ममलूका व मकबूजा

जिसमे से गाटा सं० 16मि० मे से तादादी 598.41 वर्ग मीटर पैराडाईज इन्फ्रासिटी ने द्वारा वयनामा इकरारी हरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरुदीप सिंह से क्रय की, जिसकी रजि० दिनांक 23.08.2024ई० को वही सं० 1 जिल्द सं० 15762 के पृष्ठ 231 से 248 मे क्रमांक 13543 पर कार्यालय स०र०साहब बरेली मे हुई है

व गाटा सं० 12मि० मे से तादादी 0.0800है० भूमि पैराडाईज इन्फ्रासिटी ने द्वारा वयनामा इकरारी गुरुदीप सिंह नन्दा पुत्र श्री हरवंश सिंह नन्दा से क्रय की, जिसकी रजि० दिनांक 23.08.2024ई० को वही सं० 1 जिल्द सं० 15762 के पृष्ठ 249 से 266 मे क्रमांक 13544 पर कार्यालय स०र०साहब बरेली मे हुई है

बाद खरीदारी के फर्म मजकूर का नाम कागजात माल सरकारी खतौनी मे विधिवत रूप से दर्ज चला आ रहा है,

व गाटा संख्या 16मि० व 12मि० व 9, 10, 11 पर जगजीत सिंह नन्दा पुत्र सरदार हरवंश सिंह व गुरुप्रीत सिंह नन्दा पुत्र श्री जगजीत सिंह नन्दा व हैसियत संक्रमणीय भूमिधर के मालिक काबिज व दखील है, और जगजीत सिंह नन्दा व गुरुप्रीत सिंह नन्दा का नाम कागजात सरकारी माल मे विधिवत रूप से दर्ज है।

तत्पश्चात जिसकी वावत उपरोक्त फर्म मजकूर व जगजीत सिंह नन्दा व गुरुप्रीत सिंह नन्दा ने दिनांक .....  
..... ई० को एक कन्सोर्टियम एग्रीमेन्ट तहरीर तकमिल किया, जिसकी रजि० दिनांक .....ई० को वही .....  
..... पर कार्यालय स०र०साहब बरेली मे हुई है

जिसमे गुरुप्रीत सिंह नन्दा ने फर्म मजकूर व जगजीत सिंह नन्दा को प्रमुख सदस्य होने के नाते कुल भूमि को विकसित करके विक्रय आदि करने के लिए नियुक्त किया,

उक्त कुल भूमि को फर्म मजकूर व जगजीत सिंह नन्दा ने इकजाई करके बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से तलपट मानचित्र सं० BDA/LD/2425/0275 दिनांक 07.01.2026ई० को स्वीकृत कराकर प्लाट्स कायम किये,

जिसमे मे एक किता प्रा० प्लाट नम्बर ..... क्षेत्रफल ..... वाकै ग्राम कन्थरी तह० व जिला बरेली जिस पर विक्रेतागण उपरोक्त विवरण के अनुसार मालिक काबिज व दखील है, को मुकिएर उदय कुमार ने वहासियत पार्टनर उक्त फर्म के व मुकिएर जगजीत सिंह नन्दा ने स्वयं खूब सोचकर व समझकर वही प्रा० प्लाट नम्बर ..... क्षेत्रफल ..... वाकै ग्राम कन्थरी तह० व जिला बरेली जो कही किसी तौर पर वक्फ जमानत व कुर्की व कर्जेजात सरकारी व गैरसरकारी इक्यूटेविल मार्गेज व वय व रहन वगैरह नही है जो कहीं किसी तौर पर मकफूल या मुन्तकिल देनदार किसी मुतालवे या मुवाखजे या वक्फ व जमानत व कुर्की व कर्जेजात सरकारी व गैर सरकारी व इक्यूटेविल मार्गेज व वय व रहन व दान आदि में नही है और न ही किसी बैंक अथवा संस्था से कोई ऋण लिया गया है गर्ज कि तमामी मुवाखजे जात कानूनी और कुर्कियों से विल्कुल पाक व साफ मुवर्दा है और ऐसा ही इत्मिनान अपनी जाती जिम्मेदारी पर क्रेता को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व खारजी के विलऐवज मु० ..... ,000/-रूपये के वदस्त ..... को बेच डाला और वय कतई कर दिया जरे समन तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर शय मुवैया हाजा पर क्रेता को मालिकाना काबिज दखील व मुतसरिफ कर दिया अब फर्म मजकूर व विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान फर्म मजकूर व विक्रेतागण का शय मुवैया हाजा में कोई हक व मिल्क किसी किस्म का वाकी नही रहा न आयन्दा को होगा वय कामिल तौर पर नाफिज हो गई तकाबिजुल बदलैन अमल में आ गया यह शर्त साफ तौर पर करार पाई कि अगर सानीउलहाल कोई सहीम या शरीक या हकदार या हिस्सेदार या किफालतदार या उज्रदार या अन्य जो कोई शख्स, दावेदार पैदा होकर दावा बावत शय मुवैया हाजा के करे और उसके दावे से शय मुवैया हाजा का जुज या कुल कब्जा क्रेता से निकल जावे तो क्रेता को अख्यार वापसी जरे समन जुज का जुज व कुल का कुल मय हर्जे व खर्चे का फर्म मजकूर व विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान फर्म मजकूर व विक्रेतागण से हासिल होगा, विक्रीत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बैनामा विलेख, दान पत्र, वसीयतनामा, इकरारनामा मुहायदावय, मुख्यारनामा आदि किसी अन्य के पक्ष में नहीं किया गया है भूमि का स्वामित्व, कब्जा व चौहददी मे कोई विवाद नही है और न ही कोई व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान है प्रस्तुत लेखपत्र उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये मालिकाना कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर दस्तावेज लेखक द्वारा तैयार किया गया है जिसका सत्यापन दस्तावेज पर हस्ताक्षरित साक्षीगण व साक्ष्यों के द्वारा किया गया है, यदि उपलब्ध कराये गये तथ्य प्रमाण एवं साक्षीगण किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण पाये जाते है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्षकारों की है और उसका कोई उत्तर दायित्व लेखक व टाईपकर्ता का नही होगा, लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया कि सनद हो फकत।

हदूदअर्वा—

पूरब —  
पश्चिम —  
उत्तर —  
दक्षिण — .....

पैमाईशः— संलग्न नक्शा बयनामा लेखानुसार है ।

#### घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते है कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के क्षेत्राधिकार में दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति बरेली—बीसलपुर मार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 23 क्रमांक 36 कालम 06 में बी० कोड नं० 1001 निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है, हम पक्षकार घोषित करते है कि हस्तान्तरित भूमि का गाटा संख्या महायोजना मे प्रस्तावित भू-उपयोग, पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा मे भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा मे ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।